रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 107] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 15, 2013/चैत्र 25, 1935
No. 107] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 15, 2013/CHAITRA 25, 1935

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 अप्रैल, 2013

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् [राष्ट्रीय रोजगार क्षमता वृद्धि मिशन (एनईईएम)] विनियम, 2013

एफ. सं. 37-3/विधिक/अभातशिप/2013.—अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 (1987 का 52) की धारा 10 के साथ पठित धारा 23 की उप–धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्नातकों, डिप्लोमाधारकों की रोजगार क्षमता में वृद्धि हेतु अथवा स्नातक/डिप्लोमा कर रहे विद्यार्थियों की रोजगार क्षमता बढ़ाने हेतु कार्य पर प्रैक्टिकल प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् निम्नलिखित विनियम बनाती है :

1.0		**संक्षिप्त नाम, प्रयोज्यता और प्रारंभ :**
	1.1	इन विनियमों को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् {राष्ट्रीय रोजगार क्षमता वृद्धि मिशन (एनईईएम)} विनियम, 2013 कहा जाएगा।
	1.2	ये विनियम राष्ट्रीय रोजगार क्षमता वृद्धि मिशन (एनईईएम) के अंतर्गत एजेंट के रूप में पंजीकरण करवाने के इच्छुक अथवा एजेंट के रूप में पंजीकृत सोसायटी/न्यास/कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनी/केन्द्र सरकार के निकायों/राज्य सरकार के निकायों पर लागू होंगे।
	1.3	ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2.0		**उद्देश्य**
	2.1	राष्ट्रीय रोजगार क्षमता वृद्धि मिशन (एनईईएम) का उद्देश्य तकनीकी अथवा गैर तकनीकी विधा में स्नातक/डिप्लोमा करने वाले व्यक्ति की रोजगार क्षमता में वृद्धि करने अथवा डिग्री अथवा डिप्लोमा पाठ्यक्रम की पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले व्यक्ति की रोजगार क्षमता बढ़ाने हेतु उसको कार्य पर प्रैक्टिकल प्रशिक्षण प्रदान करना है।
3.0		**राष्ट्रीय रोजगार क्षमता वृद्धि मिशन (एनईईएम) एजेंट की पात्रता**
	3.1	कोई सोसाईटी/न्यास/कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनी/केन्द्रीय सरकार के निकाय/राज्य सरकार के निकाय एनईईएम एजेंट के रूप में पंजीकृत करवाने हेतु पात्र होंगे ,
	3.2	कम से कम पांच वर्षों से प्रशिक्षण कार्य करने वाला ही एनईईएम एजेंट होगा।
	3.3	एनईईएम एजेंट का पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वित्तीय वर्ष कम से कम 50 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए अथवा मुख्य कंपनी, जिसके अंतर्गत धारा 25 कंपनी बनाई गई है, को एनईईएम के उद्देश्यों को पूरा करना चाहिए तथा उसका पिछले तीन वर्षों के दौरान कम से कम 50 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए।
	3.4	एनईईएम एजेंट को अनुमोदित एनईईएम एजेंट बनने के लिए अभातशिप में पंजीकरण कराना होगा
	3.5	एनईईएम एजेंट को पंजीकरण कराने हेतु ऑनलाईन प्रस्तुत किये गये डाटा के साथ–साथ पंजीकरण के लिए परिशिष्ट–I में दिये गये प्रपत्र अनुसार एक शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा
	3.6	एनईईएम के उद्देश्यों के अंतर्गत प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु एनईईएम एजेंट के पास वर्ष में कम से कम 10,000 विद्यार्थियों को पंजीकृत कंपनियों अथवा पंजीकृत उद्योगों में रखने की क्षमता होनी चाहिए
	3.7	एनईईएम एजेंट के रूप में पंजीकरण के लिए इच्छुक सोसाइटी/न्यास/कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनी/केन्द्र सरकार के निकायों/राज्य सरकार के निकायों को इस विनियमों के साथ संलग्न प्रपत्र में यह शपथ पत्र देना होगा कि उनके द्वारा पंजीकरण हेतु दिये आवेदन में प्रस्तुत की सूचना सही है, और यदि भविष्य में आवेदक द्वारा दी गई सूचना गलत पायी गई, तो इस सूचना के आधार पर एनईईएम एजेंट के तौर पर किया गया उनका पंजीकरण रोका जा सकता है अथवा वापस लिया जा सकता है
	3.8	यदि सोसाइटी/न्यास/कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनी के किसी सदस्य अथवा किसी सोसाइटी/न्यास/कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनी के विरूद्ध सतर्कता जांच सहित कोई जांच चल रही है अथवा पुलिस अथवा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा कोई आपराधिक जांच/अभियोजन चल रहा है, तो ऐसी सोसाइटी/न्यास/कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनी इन विनियमों के अंतर्गत एनईईएम एजेंट के रूप में पंजीकरण करवाने हेतु आवेदन करने अथवा अनुमोदन पाने के लिए पात्र नहीं होगी

4.0		**एनईईएम के अंतर्गत प्रशिक्षु की पात्रता**
	4.1	ऐसा व्यक्ति, जिसने स्नातक/डिप्लोमा पूरा कर लिया है अथवा स्नातक/डिप्लोमा हेतु पढ़ाई कर रहा है तथा एनईईएम के अंतर्गत पंजीकृत है, को एनईईएम के अंतर्गत प्रशिक्षु (ट्रेनी) कहा जाएगा
	4.2	एनईईएम के अंतर्गत प्रशिक्षण का इच्छुक व्यक्ति पंजीकरण कराने की तिथि को 18 वर्ष से अधिक तथा 35 वर्ष से कम आयु का होना चाहिए
	4.3	एनईईएम के अंतर्गत प्रशिक्षण का इच्छुक व्यक्ति किसी तकनीकी अथवा गैर तकनीकी विधा में स्नातक/डिप्लोमा धारक बेरोजगार होना चाहिए
	4.4	एनईईएम के अंतर्गत प्रशिक्षण का इच्छुक व्यक्ति वर्तमान में किसी तकनीकी अथा गैर तकनीकी विधा में स्नातक/डिप्लोमा कर रहा होना चाहिए अथवा वह ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसने डिग्री अथवा डिप्लोमा पाठ्यक्रम की पढ़ाई बीच में छोड़ दी हो
	4.5	वह एनईईएम द्वारा निर्धारित शारीरिक योग्यता के मानकों को पूरा करता हो
5.0		**एनईईएम के अंतर्गत प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु अनुबंध (संविदा) के मानक**
	5.1	एनईईएम तथा एनईईएम प्रशिक्षु के मध्य एक अनुबंध (संविदा) हस्ताक्षरित किया जाएगा, जिसमें इससे संबंधित सभी निबंधन एवं शर्तें शामिल होंगी
	5.2	परिशिष्ट–II में दिये गये प्रपत्र के अनुसार बनाए अनुबंध (संविदा) पत्र में वर्णित एनईईएम प्रशिक्षु की प्रवेश की तिथि से एनईईएम प्रशिक्षण आरंभ माना जाएगा
	5.3	एनईईएम अनुबंध (संविदा) रोजगार के लिए नियुक्ति पत्र अथवा रोजगार की गारंटी अथवा रोजगार नहीं होगा
	5.4	प्रशिक्षु को भुगतान किये जाने वाले पारिश्रमिक/वृत्तिका (स्टाइपंड) की एक समेकित राशि होगी तथा इसमें से नियमित रोजगार के मामले में लागू कोई कटौतियां इत्यादि नहीं होंगी
6.0		**प्रशिक्षण की अवधि**
	6.1	एनईईएम प्रशिक्षण एनईईएम एजेंट के पास पंजीकृत किसी पंजीकृत कंपनी/उद्योग में दिया जाएगा
	6.2	एनईईएम प्रशिक्षण कम से कम 3 महीने का तथा अधिकतम 24 महीने का होगा
	6.3	एनईईएम प्रशिक्षण की अवधि उद्योग अथवा ट्रेड की प्रकृति, जहां पर एनईईएम प्रशिक्षु प्रशिक्षण हेतु लेने हेतु कार्यरत् है, के अनुसार निर्धारित की जाएगी तथा यह पूर्णतया एनईईएम एजेंट के विवेक पर आधारित होगी
7.0		**प्रशिक्षण अनुबंध (संविदा) की समाप्ति**
	7.1	एनईईएम प्रशिक्षु तथा एनईईएम एजेंट के मध्य हस्ताक्षरित अनुबंध(संविदा) पत्र में वर्णित प्रशिक्षण अवधि के पूरा होने पर प्रशिक्षण का अनुबंध समाप्त माना जाएगा
	7.2	दूसरे पक्ष (पार्टी) को 30 दिन का लिखित अग्रिम नोटिस देकर कोई भी पक्ष अनुबंध को समाप्त कर सकता है

	7.3	एनईईएम प्रशिक्षु के किसी गैर कानूनी आचरण अथवा कंपनी/उद्योग की नीतियों का पालन न करने अथवा एनईईएम प्रशिक्षु के लिए अधिसूचित प्रशिक्षण अवधि में बार–बार अनुपस्थित रहने पर एनईईएम एजेंट द्वारा प्रशिक्षु के प्रशिक्षण अनुबंध को समाप्त किया जा सकता है
	7.4	एनईईएम एजेंट द्वारा अनुबंध की किसी शर्त का अनुपालन न करने पर एनईईएम प्रशिक्षु 30 दिन का अग्रिम नोटिस देकर एनईईएम एजेंट के साथ अनुबंध को समाप्त कर सकता है
	7.5	एनईईएम प्रशिक्षु, जिस एनईईएम एजेंट अथवा कंपनी/उद्योग में अनुबंध के साथ प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है, वह उससे इस प्रशिक्षण अनुबंध के अंतर्गत रोजगार का अनुबंध नहीं कर सकता
8.0		**एन.ई.ई.एम. के अंतर्गत प्रशिक्षण के उद्देश्य से निर्धारित ट्रेड एवं उद्योग**
	8.1	ऑटोमोबाईल तथा ऑटो घटक
	8.2	कैमिकल एवं फार्मास्यूटिकल्स
	8.3	इलेक्ट्रोनिक्स हार्डवेयर
	8.4	वस्त्र एवं परिधान
	8.5	चमड़ा एवं चमड़े की वस्तुएं
	8.6	रत्न एवं आभूषण
	8.7	भवन एवं निर्माण
	8.8	खाद्य प्रसंस्करण
	8.9	हथकरघा एवं हस्तशिल्प
	8.10	मूल संपदा, भवन हार्डवेयर तथा गृह सज्जा
	8.11	आई.टी.एस. अथवा सॉफ्टवेयर सेवाएं
	8.12	आई.टी.ई.एस.–बी.पी.ओ. सेवाएं
	8.13	पर्यटन आतिथ्य तथा ट्रेवल ट्रेड
	8.14	परिवहन, संभार/वेयर हाऊसिंग तथा पैकेजिंग
	8.15	खुदरा संगठन
	8.16	मीडिया, मनोरजंन, प्रसारण, सामग्री निर्माण तथा एनिमेशन
	8.17	हैल्थकेयर सेवाएं
	8.18	बैकिंग/बीमा एवं वित्त
	8.19	शिक्षा/कौशल विकास सेवाएं
	8.20	एफ.एम.सी.जी., उपभोक्ता डुरेबल सामान
	8.21	टेलिकॉम एवं टेलिकॉम अवसंरचना
	8.22	बहु–कौशल निर्माण
	8.23	अन्य
9.0		**एनईईएम प्रशिक्षुओं का प्रैक्टिकल एवं मौलिक प्रशिक्षण**
	9.1	प्रत्येक एनईईएम प्रशिक्षु को नियोक्ता/कंपनी/उद्योग के परिसर में अथवा चयनित ट्रेड की आवश्यकता अनुसार, क्षेत्रगत संचालन में ट्रेड संबंधी गहन प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा

	9.2	एनईईएम एजेंट द्वारा व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त समझी जाने वाली, मौलिक योजना के लिए उपयोगी, सैटेलाईट तथा अन्य अपेक्षित सुविधाएं प्रदान की जाएंगी
	9.3	एनईईएम परियोजना के अंतर्गत प्रशिक्षण पाने वाले एनईईएम प्रशिक्षुओं को सी.आई.आई. एफ.आई.सी.आई.आई., ए.एस.एस.ओ.सी.एच.ए.एम. इत्यादि जैसे उद्योग निकायों के परामर्श अथवा एन.वी.ई.क्यू.एफ. के अंतर्गत निर्धारित पाठ्यक्रम तथा संबंधित अनुदेशों, जैसा भी अपेक्षित हो, का अनुपालन करना होगा
	9.4	एनईईएम प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण को पूरा करने हेतु एनईईएम एजेंट, विभिन्न प्रशिक्षकों तथा नियोक्ताओं/कंपनी/उद्योग के पार्टनर होंगे
10.0		**प्रशिक्षुओं का स्वास्थय तथा सुरक्षा एवं कल्याण**
	10.1	एनईईएम एजेंट प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षुओं के कल्याण, सुरक्षा एवं स्वास्थय पहलुओं का ध्यान रखना सुनिश्चित करेंगे तथा इस हेतु यथालागू अधिनियमों एवं आवश्यक प्रावधानों का अनुपालन करेंगे
11.0		**कार्य के घंटे, अतिरिक्त समय, छुट्टी एवं अवकाश**
	11.1	प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रशिक्षु के साप्ताहिक एवं दैनिक कार्य घंटे प्रशिक्षण देने वाले नियोक्ता/कंपनी/उद्योग की नीति के अनुसार निर्धारित किये जाएंगे
	11.2	किसी भी प्रशिक्षु को प्रशिक्षण के लिए निर्धारित कार्य घंटों के अतिरिक्त, निर्दिष्ट पर्यवेक्षक प्राधिकारी की बिना अनुमति के, अन्य अतिरिक्त कार्य पर नहीं लगाया जाएगा
	11.3	प्रशिक्षु प्रशिक्षण देने वाले प्रतिष्ठान में मिलने वाले अवकाश तथा निर्धारित की गई छुट्टियों के लिए पात्र होंगे
12.0		**चोट लगने पर एन.ई.ई.एम. एजेंट का मुआवजा देने संबंधी दायित्व**
	12.1	एनईईएम प्रशिक्षु को उसके प्रशिक्षण के दौरान दुर्घटनावश यदि कोई चोट लग जाती है, जो एनईईएम एजेंट को इसके लिए कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, 1923 (समय-समय पर यथा संशोधित) के प्रावधानों के अनुसार एनईईएम प्रशिक्षु को निर्धारित मुआवजे का भुगतान करना होगा
13.0		**आचरण एवं अनुशासन**
	13.1	एनईईएम प्रशिक्षु के आचरण एवं अनुशासन संबंधी सभी मामलों में एनईईएम एजेंट द्वारा निर्धारित किये गये तथा/अथवा कंपनी/उद्योग, जहां पर प्रशिक्षु प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है, के नियम एवं विनियम लागू होंगे
14.0		**प्रशिक्षण उपरांत सहायता**
	14.1	सभी एनईईएम प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण अवधि के पूर्ण होने पर प्रशिक्षण पूरा करने संबंधी प्रमाणपत्र दिया जाएगा
	14.2	उन सभी एनईईएम प्रशिक्षुओं को, जो प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा कर लेते है तथा परीक्षा में निर्धारित की गई न्यूनतम सीमा पार कर लेते हैं, को एनईईएम प्रशिक्षण की समाप्ति पर प्रशिक्षण कौशल निर्धारण प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। परीक्षा का स्थान (ऑनलाईन अथवा ऑफलाईन) एनईईएम एजेंट द्वारा अधिसूचित किया जाएगा

15.0		**पारिश्रमिक / वृत्तिका (स्टाइपंड)**
	15.1	एनईईएम एजेंट द्वारा सभी नामांकित एनईईएम प्रशिक्षुओं को अकुशल श्रेणी के लिए निर्धारित न्यूनतम वेतन के बराबर पारिश्रमिक / वृत्तिका का भुगतान किया जाएगा
	15.2	पारिश्रमिक / वृत्तिका का भुगतान एकल समेकित राशि के तौर पर किया जाएगा। ऐसे भुगतान में नियमित कर्मचारियों के लिए लागू सांविधिक कटौतियां अथवा भुगतान लागू नहीं होंगे, क्योंकि एनईईएम अनुबंध के अनुसार इनको रोजगार पर नहीं, बल्कि प्रशिक्षण पर रखा गया है
16.0		**निर्दिष्ट पर्यवेक्षण प्राधिकरण / अभिलेख**
	16.1	एनईईएम एजेंट अथवा कंपनी अथवा उद्योग, जहां पर एनईईएम प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, निर्दिष्ट पर्यवेक्षण प्राधिकरण होगा
	16.2	एनईईएम एजेंट अभातशिप द्वारा समय–समय पर निर्धारित किये जाने वाले प्रपत्र में मासिक रिपोर्ट फाईल करेगा
	16.3	एनईईएम एजेंट अभातशिप वेबपोर्टल पर उपलब्ध प्रपत्र में एनईईएम प्रशिक्षु डाटा अपलोड करेगा
	16.4	एनईईएम एजेंट अभातशिप द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किये जाने वाले सभी अतिरिक्त मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा
17.0		**शास्ति तथा पंजीकरण एवं अनुमोदन को वापस लेना**
	17.1	यदि कोई एनईईएम एजेंट इन विनियमों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है, तो अभातशिप ऐसी जांच करके, जो वह उपयुक्त समझे तथा संबंधित एनईईएम एजेंट को मामले को स्पष्ट करने का अवसर प्रदान करने के पश्चात्, एनईईएम एजेंट के पंजीकरण तथा उसको दिये अनुमोदन को रोक रखती है / वापस ले सकती है
	17.2	यदि किसी एनईईएम एजेंट का पंजीकरण तथा अनुमोदन रोका जाता है अथवा वापस लिया जाता है, वह एनईईएम एजेंट इसके रोके जाने अथवा वापस लिये जाने की तिथि से कम से कम दो वर्ष की अवधि के लिए दुबारा नया पंजीकरण कराने के लिए पात्र नहीं होगा

डॉ. के. पी. आइजैक, सदस्य-सचिव

[विज्ञापन III/4/असा./162/13]

परिशिष्ट–I

शपथ पत्र

प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट अथवा नोटरी अथवा शपथ आयुक्त के समक्ष विधिवत रूप से ग्रहण करने हेतु 100/– रू0 के गैर न्यायिक स्टांप पेपर पर प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ पत्र का प्रारूप

<नाम>, अध्यक्ष, <न्यास/सोसायटी का नाम>, सुपुत्र श्री ....
मैं/हम, आयु तथा, निवासी ....
<नाम>, सचिव, <न्यास/सोसायटी का नाम>, सुपुत्र श्री ....
आयु तथा, निवासी ....
<नाम>, प्राचार्य/निदेशक, <न्यास/सोसायटी का नाम>, सुपुत्र श्री ....
आयु तथा, निवासी ....

एनईईएम एजेंट के रूप में पंजीकरण कराने हेतु अभातशिप को किये गये अपने आवेदन दिनांक .... के संबंध में सत्यनिष्ठा के साथ यह घोषित करते हैं कि :

1. मैं <पदनाम>, <आवेदक सोसाइटी/न्यास/कंपनी> हूँ
2. यह घोषणा, सूचना एवं प्रलेख अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् {राष्ट्रीय रोजगार क्षमता वृद्धि मिशन (एनईईएम)} विनियम, 2013 के अंतर्गत एनईईएम एजेंट के रूप में पंजीकरण करवाने से संबंधित है।
3. अभातशिप को किये गये आवेदन में <नाम/मों> द्वारा दी गई सूचना सही एवं पूर्ण है, इसमें कोई भी गलत सूचना नहीं दी गई है तथा इसमें कुछ भी छुपाया नहीं गया है।
4. यदि कोई सूचना गलत, अधूरी तथा भ्रामक पायी जाती है और/अथवा <नाम/मों> सभी सूचनाएं देने में असमर्थ रहते हैं और/अथवा किसी सूचना को छिपाते हैं और/अथवा गलत ढंग से प्रस्तुत करते हैं, तो मैं/हम परिषद् द्वारा अभियोजित किया/ये जा सकता/ते हूँ/हैं।
5. परिषद् पंजीकरण का अनुमोदन वापस लेने सहित, <नाम/मों> और अन्य, जैसा भी मामलों हो, और/अथवा सोसाइटी/न्यास/कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के अंतर्गत स्थापित कंपनी के साथ सहयोजित व्यक्तियों के विरूद्ध उचित समझे जाने वाली कोई भी कार्रवाई कर सकती है।
6. मेरी/हमारी जानकारी के अनुसार इस शपथ पत्र में दिये गये तथ्य सही हैं। इसमें कोई सूचना गलत नहीं है तथा कोई भी बात छुपाई नहीं गई है।

(निष्पादनकर्ता का नाम, पदनाम तथा पता)
(मुहर)

अभिसाक्षी

सत्यापन

मैं उपर्युक्त नामक अभिसाक्षी यह सत्यापित करते हूँ कि मेरी जानकारी के अनुसार उपरोक्त शपथ पत्र में वर्णित तथ्य सही हैं। इनमें कोई गलत जानकारी नहीं है तथा इसमें कुछ भी छुपाया नहीं गया है।

सत्यापित <स्थान का नाम तथा तिथि>

(निष्पादनकर्ता का नाम, पदनाम तथा पता)
(मुहर)

अभिसाक्षी

परिशिष्ट -II- एनईईएम प्रशिक्षु के साथ संविदा पत्र

दिनांक :

एनईईएम प्रशिक्षु सं0:

प्रिय

एनईईएम – प्रशिक्षु संविदा पत्र

हम आपको निम्नलिखित निबंधनों और शर्तों के अध्यधीन एनईईएम प्रशिक्षु सहर्ष नियुक्त करते हैं :

1. प्रशिक्षण की अवधि ----- माह होगी तथा यह ------- तारीख से आरंभ होगी और इसकी समाप्ति की तारीख --------- है।
2. एनईईएम एजेंट के लिए प्रशिक्षण की अवधि की सफलतापूर्वक समाप्ति होने पर प्रशिक्षुओं को अपनी स्थापना में किसी रोजगार की पेशकश करना अनिवार्य नहीं होगा और न ही एनईईएम प्रशिक्षु के लिए नियोक्ता के अधीन कोई रोजगार स्वीकार करना अनिवार्य होगा। चूंकि एनईईएम प्रशिक्षु किसी स्थापना में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है, आप एक प्रशिक्षु होंगे न कि एक कर्मी, अतः श्रमिक अथवा कार्य के संबंध में किसी भी कानून के उपबंध आप पर अथवा आपके संदर्भ में लागू नहीं होंगे।
3. एक एनईईएम प्रशिक्षु के रूप में, आप आचरण, अनुशासन और सुरक्षा के सभी मामलों में एनईईएम नियमों और विनियमों का पालन करने के दायी होंगे तथा स्थापना के सभी विधिसम्मत आदेशों का अनुपालन करेंगे।
4. एक एनईईएम प्रशिक्षु के रूप में, आप अपने विषय–क्षेत्र का अध्ययन कर्त्तव्यनिष्ठा और परिश्रम के साथ करेंगे तथा नियमित रूप से प्रैक्टिकल और शैक्षणिक कक्षाओं में शामिल होंगे।
5. एक एनईईएम प्रशिक्षु के रूप में आप एनईईएम प्रशिक्षण की अवधि के दौरान एनईईएम द्वारा तैयार और अनुमोदित तथा एनईईएम एजेंट द्वारा अनुशंसित प्रपत्र में अपने कार्य का रिकार्ड अनुरक्षित करेंगे।
6. जहां संविदा के निबंधनों को क्रियान्वित करने के संबंध में आपकी ओर से विफलता के लिए प्रशिक्षण की संविदा को समाप्त कर दिया जाता है, वहां आप प्रशिक्षण की लागत के रूप में उतनी राशि एनईईएम एजेंट को लौटाएंगे, जो एनईईएम एजेंट द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए। ऐसे मामले में, आप राष्ट्रीय रोजगार क्षमता वृद्धि मिशन (एनईईएम) के अंतर्गत प्रशिक्षण का कोई अन्य करार करने के लिए पात्र नहीं होंगे।
7. प्रशिक्षण की संविदा निम्न स्थितियों में एनईईएम प्रशिक्षु को प्रतिपूर्ति का भुगतान किए बिना समाप्त की जा सकती है –
   - (i) यदि आप लाभप्रद रोजगार प्राप्त कर लें (नियुक्ति पत्र की प्रति प्रस्तुत करने पर); और
   - (ii) चिकित्सा आधार पर प्रशिक्षण जारी रखने में असमर्थ रहते हैं (किसी सरकारी अस्पताल के साथ संबद्ध सिविल सर्जन/सर्जन की पंक्ति से अनिम्न किसी चिकित्सा अधिकारी से इस संबंध में प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर)।
8. एनईईएम एजेंट द्वारा संविदा के उल्लंघन करने पर, एनईईएम एजेंट आपको उस श्रेणी के लिए विनिर्दिष्ट न्यूनतम वेतन के अनुरूप प्रतिपूर्ति का भुगतान करेगा।
9. वृत्तिका के भुगतान का जारी रहना प्रशिक्षण की अवधि के दौरान आपके संतोषजनक प्रदर्शन पर निर्भर करेगा।

10. एनईईएम एजेंट एनईईएम प्रशिक्षु के प्रशिक्षण के लिए 'प्रशिक्षण सामग्री' तैयार करेगा तथा उसे क्रियान्वित करने के लिए उपयुक्त व्यवस्थाएं करेगा।
11. एनईईएम प्रशिक्षु को उस स्थापना के विभाग के सामान्य कार्य घंटों के अनुरूप प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, जिसमें वह प्रशिक्षण के लिए सहयोजित है।
12. किसी माह–विशेष के लिए वृत्तिका का भुगतान आगामी माह की 10 तारीख से पूर्व कर दिया जाएगा।
13. एनईईएम एजेंट तथा एनईईएम प्रशिक्षु के बीच संविदा के संबंध में उत्पन्न होने वाली किसी असहमति अथवा विवाद को एनईईएम एजेंट के शासी निकाय को निर्दिष्ट किया जाएगा।

पृष्ठांकन

मैं एतद्द्वारा उपर्युक्त एनईईएम संविदा पत्र को, उसमें विनिर्धारित निबंधन और शर्तो पर, स्वीकार करने की पुष्टि करता हूं। मैं समझता हूं और सहमत हूं कि मेरे द्वारा इस संविदा को हस्ताक्षरित किए जाने का आशय एनईईएम एजेंट द्वारा मुझे रोजगार प्रदान किया जाना अथवा रोजगार की कोई गारंटी दिया जाना नहीं है।

एनईईएम एजेंट के लिए

स्वीकार्य और सहमत

____________________ ____________________

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

हस्ताक्षर : ____________________

तारीख :

नाम

1529 GI/13-3

ALL INDIA COUNCIL FOR TECHNICAL EDUCATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th April, 2013

All India Council for Technical Education [National Employability Enhancement Mission (NEEM)] Regulations, 2013

F. No. 37-3/Legal/AICTE/2013.—In exercise of it's powers conferred under sub-section[1] of section 23 read with section 10 of the All India Council for Technical Education Act, 1987 (52 of 1987), the All India Council for Technical Education, with an objective to offer on the job practical training to enhance employability of graduates / diploma holders or students pursuing graduation / diploma to increase their employability, makes the following Regulations :

1.0		**SHORT TITLE, APPLICATION AND COMMENCEMENT**
	1.1	These Regulations may be called All India Council for Technical Education [National Employability Enhancement Mission (NEEM)] Regulations, 2013.
	1.2	These Regulations shall apply to any Society/Trust/Company registered under section 25 of Companies Act, 1956 / Bodies of Central Government / Bodies of State Government seeking registration as agent under National Employability Enhancement Mission and registered agent.
	1.3	These Regulations shall come into force with effect from the date their publication in the official gazette
2.0		**OBJECTIVES**
	2.1	The objective of National Employability Enhancement Mission (NEEM) is to offer on the job practical training to enhance employability of a person either pursuing his or her graduation / diploma in any technical or non-technical stream or have discontinued studies of degree or diploma course to increase their employability
3.0		**ELIGIBILITY OF A NEEM AGENT**
	3.1	Any Society/Trust/Company registered under section 25 of Companies Act, 1956 / Bodies of Central Government / Bodies of State Government shall be eligible to apply for registration as NEEM agent.
	3.2	NEEM agent shall be in the business of training for at least five years
	3.3	NEEM agent shall have at least a turnover of Rs.50 Crore per financial year for the previous three financial years or the parent company under which a section 25 company is formed to meet the objectives of NEEM may also have 50 crores turnover for the past three years.
	3.4	The NEEM agent shall have to register with AICTE for being approved as NEEM agent.
	3.5	The NEEM agent shall submit an affidavit as per proforma given in Appendix I for registration with AICTE in addition to the submission of data online for the purpose of such a registration
	3.6	The NEEM agent shall have the capacity to place at least 10,000 students per year in registered companies or registered industries for the purpose of providing training under the objectives of NEEM

	3.7	The Society/Trust/Company registered under section 25 of Companies Act, 1956 / Bodies of Central Government / Bodies of State Government seeking registration as NEEM agent shall submit an affidavit in the proforma appended to these Regulations stating that the information submitted by it in the application for registration is correct and if any information submitted by the applicant found incorrect in future, the NEEM agent so registered on the basis of such information shall be liable for revocation or withdrawal of its registration
	3.8.	If any member of Society/Trust/Company registered under section 25 of Companies Act, 1956 or Society/Trust/Company registered under section 25 of Companies Act, 1956, is facing any enquiry including a vigilance enquiry or if there is any criminal investigation/prosecution by police or CBI, then such Society/Trust/Company registered under section 25 of Companies Act, 1956 shall not be eligible to apply and seek registration and approval as NEEM agent under these Regulations
4.0		**ELIGIBILITY OF A TRAINEE UNDER NEEM**
	4.1	A person who has completed graduation / diploma or a person pursuing studies leading to graduation / Diploma and registered under NEEM is called a Trainee under NEEM
	4.2	A person seeking training under NEEM shall be atleast 18 years of age and not more than 35 years of age as on the date of registration
	4.3	A person seeking training under NEEM shall be an unemployed graduate / diploma holder of any technical or non-technical stream
	4.4	A person seeking training under NEEM may be either pursuing his or her graduation / diploma in any technical or non-technical stream or may have discontinued studies of degree or diploma course
	4.5	Satisfies standards of physical fitness as prescribed by NEEM agent
5.0		**NORMS OF CONTRACT FOR IMPARTING TRAINING UNDER NEEM**
	5.1	A contract shall be signed between NEEM and the NEEM Trainee to capture all terms & conditions which would govern the relationship
	5.2	The NEEM training shall be deemed to have started from the date of joining of the NEEM Trainee as mentioned in the contract letter as per proforma given in Appendix II
	5.3	The NEEM contract shall not be either an offer or employment or a guarantee of employment or employment
	5.4	Any remuneration/stipend paid to a trainee is a consolidated amount not subject to any other deductions of payment as applicable in a regular employment
6.0		**PERIOD OF TRAINING**
	5.1	NEEM training shall be in a registered company / Industry as registered with the NEEM agent
	5.2	NEEM training shall be for a minimum of 3 months and a maximum of 24 months
	5.3	The duration of NEEM training shall be determined by the nature of Industry or trade where a NEEM trainee would be engaged for imparting such training and shall be at the sole discretion of NEEM agent
7.0		**TERMINATION OF TRAINING CONTRACT**
	7.1	The contract of the training shall expire on the expiry of the period of training as mentioned in the contract letter signed between the NEEM trainee and NEEM agent
	7.2	Either party can terminate the contract by notifying in writing to the other party by

		giving a notice thirty days in advance
	7.3	NEEM agent can terminate the Training contract with the NEEM trainee on account of any unlawful behavior on the part of the NEEM trainee or on account of repeated flouting of company / Industry policies or for continuous irregularity in attending to the scheduled training, as notified for the NEEM trainee
	7.4	NEEM trainee can terminate the contract entered into with the NEEM agent where the NEEM agent fails to honour any of the terms of the contract by giving a written notice 30 days in advance, to the NEEM agent
	7.5	The selection of a NEEM trainee does not constitute an employment contract with NEEM agent or the company / industry where the NEEM trainee is placed for training under the contract
8.0		**DESIGNATED TRADES AND INDUSTRIES FOR THE PURPOSE OF TRAINING UNDER NEEM**
	8.1	Automobile and Auto component
	8.2	Chemicals and Pharmaceuticals
	8.3	Electronics Hardware
	8.4	Textiles and Garments
	8.5	Leather and Leather Goods
	8.6	Gem and Jewellery
	8.7	Building and Construction
	8.8	Food Processing
	8.9	Handlooms and Handicrafts
	8.10	Real Estate, Building hardware and Home furnishings
	8.11	ITS or Software Services
	8.12	ITES – BPO Services
	8.13	Tourism Hospitality and Travel Trade
	8.14	Transportation, Logistics / Warehousing and Packaging
	8.15	Organised Retail
	8.16	Media, Entertainment, Broadcasting, Content Creation & Animation
	8.17	Healthcare Services
	8.18	Banking / Insurance & Finance
	8.19	Education / Skill Development Services
	8.20	FMCG, Consumer Durables Goods
	8.21	Telecom & Telecom Infrastructure
	8.22	Multi-skill Manufacturing
	8.23	Any Other
9.0		**PRACTICAL AND BASIC TRAINING OF NEEM TRAINEES**
	9.1	Each NEEM trainee shall be provided comprehensive training in the trade by deployment in the premises of an employer / company / industry or in field operations depending on the trade selected
	9.2	On-the-job training may be complemented by access to the cloud, satellite or such other facilities that NEEM agent deems as appropriate for the training
	9.3	NEEM trainees who undergo training in the NEEM project would be required to undergo related instruction and course curriculum devised under NVEQF or in consultation with Industry bodies like CII, FICII, ASSOCHAM etc. as may be

		required
	9.4	NEEM agent will partner with various trainers and employers / company / industry for the completion of training of NEEM trainees
10.0		**HEALTH AND SAFETY AND WELFARE OF TRAINEES**
	10.1	NEEM agent shall comply with the necessary provisions and the applicable Acts, to ensure welfare, safety and health aspects of the trainees while they undergo training
11.0		**HOURS OF WORK, OVERTIME, LEAVE AND HOLIDAYS**
	11.1	Weekly and daily hours of work of a trainee while he / she undergoes training shall be as prescribed by the policy of the Employer / company / industry, where the trainees will be placed for the training
	11.2	No trainee shall be required or allowed to be posted in the training beyond designated work hours, except with the approval of the designated supervisory authority
	11.3	A Trainee shall be entitled to such leave as may be prescribed and to such holidays as are observed in the establishment where he is undergoing training
12.0		**NEEM AGENT'S LIABILITY FOR COMPENSATION FOR INJURY**
	12.1	If personal injury is caused to a NEEM trainee, by incident/accident arising out of and in the course of his training as a NEEM trainee, NEEM agent shall be liable to pay compensation which shall be determined and paid, so far as may be, in accordance with the provisions of the Workman Compensation Act, 1923 as amended from time to time
13.0		**CONDUCT AND DISCIPLINE**
	13.1	In all matters of conduct and discipline, the NEEM trainee shall be governed by the rules and regulations as may be prescribed by the NEEM agent and or by the company / industry where the NEEM trainee will be placed for training
14.0		**POST TRAINING SUPPORT**
	14.1	All NEEM trainees shall be given a completion training certificate at the end of training period
	14.2	All NEEM trainees who complete the training program and reach the minimum threshold in the examination that may be prescribed shall be issued a training skill assessment certificate at the conclusion of NEEM training. The test location (online or offline) shall be notified by the NEEM agent
15.0		**REMUNERATION / STIPEND**
	15.1	NEEM agent shall pay all enrolled NEEM trainees a remuneration / stipend which shall be at par with the prescribed minimum wage for unskilled category
	15.2	Remuneration / Stipend shall be paid as a single consolidated amount and such payment will not attract any statutory deductions or payments applicable to regular employees since the NEEM contract assures training and does not constitute employment
16.0		**DESIGNATED SUPERVISING AUTHOROTY / RECORDS**
	16.1	The designated supervising authority shall be NEEM agent or the company or the industry where the NEEM trainee will be placed
	16.2	NEEM agent shall file monthly report in the format as prescribed by AICTE from time to time
	16.3	NEEM agent shall upload the NEEM trainee data on the AICTE web portal in the available formats thereon

	16.4	NEEM agent will comply with any additional norms/condition as notified by AICTE from time to time
17.0		**PENALTY AND WITHDRAWAL OF REGISTRATION AND APPROVAL**
	17.1	If a NEEM agent contravenes any of the provisions of these Regulations, the AICTE may, after making such enquiry, as it may consider appropriate and after giving NEEM agent concerned an opportunity being heard, revoke/withdraw the registration and approval granted to such NEEM agent
	17.2	If the Registration and Approval of NEEM agent is revoked or withdrawn, the concerned NEEM agent shall not be eligible to apply for fresh registration for a period of at least 2 years from the date of such revocation or withdrawal

Dr. K. P. ISAAC, Member-Secy.
[ADVT. III/4/Exty./162/13]

Appendix-I

AFFIDAVIT

Format of affidavit to be submitted by the applicant on a non-judicial stamp paper of

Rs.100/- duly sworn before a First Class Judicial Magistrate or Notary or an Oath Commissioner

I/We, <name>, Chairman, <name of the Trust/Society>, son of ...., aged.................. years and, resident of ....,

<name>, Secretary, <name of the Trust/Society>, son of ...., aged.................. years and, resident of ....,

<name>, Principal / Director, <name of the Trust/Society>, son of .... , aged .... years and, resident of ....

in connection with our application dated .... made to AICTE for, registration as NEEM Agent

Hereby solemnly affirm and declare as under:

1. That I am <designation>, <applicant Society/ Trust / Company>
2. That the declaration, information and documents pertain to registration as NEEM Agent under the All India Council for Technical Education [National Employability Enhancement Mission (NEEM)] Regulations, 2013
3. That the information given by <name/s> in the application made to AICTE is true and complete. Nothing is false and no material has been concealed.
4. That if any of the information is found to be false, incomplete, misleading and / or that the <name/s> fail/s to disclose all the information and / or suppress any information and / or misrepresent the information, I/we shall be liable to be prosecuted by the Council.
5. That the Council shall also be free to take any action including withdrawal of approval of registration and / or any other action as deemed necessary against the <name/s> and others as the case may be and / or the individuals associated with the Society / trust / A company established under Section 25 of Companies Act 1956.
6. That the facts stated in this affidavit are true to my / our knowledge. No part of the same is false and nothing material has been concealed there from.

(Name, Designation and Address of the Executants)
(seal)

DEPONENT

VERIFICATION

I, the above named deponent do hereby verify that the facts stated in the above affidavit are true to my knowledge. No part of the same is false and nothing material has been concealed there from.

Verified at <name of the place> on this the <date>.

(Name, Designation and Address of the Executants)
(seal)

DEPONENT

APPENDIX -II- CONTRACT LETTER WITH NEEM TRAINEE

Date:
NEEM Trainee No:

Dear

NEEM - Trainee Contract letter

We are pleased to engage you as NEEM Trainee subject to the following terms and conditions:

1. The period of training shall be with start date and end date .
2. It shall not be obligatory on the part of the NEEM Agent to offer any employment to the apprentices on successful completion of period of training in his her establishment nor shall it be obligatory on the part of the NEEM Trainee to accept any employment under the employer. As NEEM Trainee undergoing Training in an establishment you shall be a trainee and not a worker and as such, the provisions of any law with respect to a labourer or work shall not apply to or in relation t you.
3. As NEEM Trainee you shall be liable to abide by the rules and regulations of NEEM in all matter of conduct, discipline and safety and carry out all lawful orders of the establishment.
4. As NEEM Trainee you shall learn your subject field conscientiously and diligently and attend to practical and instructional classes regularly.
5. As NEEM Trainee you shall maintain a record of your work during the period of the NEEM TRAINING in a proforma prepared and approved by NEEM Agent.
6. When the contract of Training is terminated for failure on your part to carry out the terms of contract, you shall refund to the NEEM Agent as cost of training such amount as may be determined by the NEEM Agent. In such event, you shall not be entitled to enter into another contract of training under the National Employability Enhancement Mission (NEEM).
7. The Contract of Training can be terminated without compensation payment to the NEEM Trainee-
   i. If you secure gainful employment (on production of copy of the appointment letter): and

ii. If you are unable to continue training on medical grounds (on production of a certificate to this effect from a medical officer not below the rank of a Civil Surgeon/surgeon attached to any Government Hospital).

8. For breach of contract by NEEM Agent, NEEM Agent shall pay compensation to you in accordance with the Minimum Wages specified for that Category.
9. Continuance of payment of stipend shall depend on your satisfactory performance during the training period.
10. NEEM Agent will formulate a "Training Programme" for the training of NEEM Trainee and shall make suitable arrangements for facilitating the same.
11. NEEM Trainee shall be imparted training according to normal hours of work of the department in the establishment to which he/she is attached for training.
12. The Stipend for a particular month shall be paid before the 10th of the following month.
13. Any disagreement or dispute between NEEM Agent and the NEEM Trainee arising out of the Contract shall be referred to the Governing body of NEEM Agent.

ENDORSEMENT

I hereby confirm acceptance of the above NEEM Contract letter, on the terms and conditions stipulated therein. I understand and agree that my signing this contract does not constitute employment by NEEM Agent or any guarantee of employment.

For **NEEM AGENT** **Accepted and Agreed**

------------------------ ---------------------------

Authorized Signatory

Signature: ---------------------------

Date:

Name

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.